सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें
राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद।

पत्रांक – कम्प्यूटर अनुभाग/ 1197/2011–12 दिनांक: 20 जून, 2011

**विषय – शैक्षिक सत्र** 2011–12 **हेतु विद्यालय सांख्यिकी रिपोर्ट (ई0एम0आई0एस0) के लिए निर्धारित समय सारणी।**

महोदय/महोदया,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय सांख्यिकी रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार की जाती है। वर्ष 2011–12 की विद्यालय सांख्यिकी शुद्ध एवं समयबद्ध रूप में तैयार की जानी है। विगत वर्षों की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि सभी विद्यालयों से प्रपत्र एकत्रित नहीं किये गये हैं, विशेषकर मान्यता प्राप्त प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों से प्रपत्र पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किये गये हैं जिसके कारण नामांकन की पूरी स्थिति नहीं मिल पा रही है। नामांकन की पूरी स्थिति न मिल पाने के कारण प्रदेश के शैक्षिक इन्डीकेटर्स सही रूप में परिलक्षित नहीं हो पा रहे हैं। वर्ष 2010–11 के डायस डाटा में कवरेज की कमी, डाटा की अशुद्धता, डाटा से रिपोर्ट जनेरेशन, डाटा चेकिंग, डाटा इंडीकेटरों की गणना एवं डाटा कवरेज में कमी/अपूर्णता एवं इसके सुधार के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय में दिनांक 22 मई, 2011 को आयोजित बेसिक शिक्षा अधिकारियों/ मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)की बैठक में अवगत कराया जा चुका है।

**अतः आपको स्पष्ट निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष** 2011–12 **में समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6–8 के अनुभाग अनिवार्यतः सम्मिलित किये जायें। इस हेतु आपको सभी परिषदीय विद्यालयों, सभी मान्यता प्राप्त (अनुदानित/गैर अनुदानित ) विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों, के0जी0बी0वी0, जनजाति एवं समाज कल्याण विभाग, आई.सी.एस.ई. / सी.बी.एस.ई से मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय/ मदरसा आदि को (संलग्नक 'क')विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र भेजने होंगे तथा सभी विद्यालयों से भरे हुए प्रपत्र प्राप्त करने होंगे, ताकि जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा की समग्र स्थिति ज्ञात हो सके। इस संबंध में राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक सं0 रा0प0नि0/717/2011–12 दिनांक 20 मई, 2011 (संलग्नक 'ख') के द्वारा जनपदों के समस्त प्रकार के विद्यालयों की स्कूल डायरेक्ट्री तैयार करने के निर्देश पूर्व में ही भेजे जा चुके हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के परिप्रेक्ष्य में DISE 2011-12 में जनपद के सभी विद्यालयों के समय से पूर्ण कवरेज**

तथा पूर्ण डाटा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। भरे हुए डी0सी0एफ की एक छाया प्रति की उपलब्धता सम्बन्धित विद्यालयों में सुनिश्चित करायें।

माह जुलाई 2011 से नवीन शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हो रहा है। अतः शैक्षिक सत्र 2011–12 के लिए ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार करने हेतु समयबद्ध रूप में कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। इस हेतु निर्धारित समय सारिणी संलग्न है।

विद्यालय सांख्यिकी कार्य के लिए जनपद स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जिला समन्वयक प्रशिक्षण को नोडल अधिकारी नामित किया जाये तथा नामित अधिकारियों के नाम/ पदनाम/ टेलीफोन नं0 राज्य परियोजना कार्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को तत्काल उपलब्ध करायें जायें। भरे हुए प्रपत्र एकत्रित करने तथा जनपद कार्यालय में उपलब्ध कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उपरोक्त दोनों नोडल अधिकारियों एवं सम्बन्धित ब्लाक के सहायक बेसिक शिक्षाधिकारी / उप विद्यालय निरीक्षक की होगी।

कृपया उक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु समाचार पत्रों/ मीडिया में समुचित प्रसारण करायें तथा सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के विद्यालयों द्वारा DCF भरकर पूर्ण डाटा उपलब्ध कराया जाये। सभी सम्बन्धित अधिकारियों तथा स्टाफ को सम्यक् निर्देश अपने स्तर पर प्रसारित करें तथा प्रसारित निर्देश की एक प्रति राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें। उक्त समय–सारिणी तथा निर्देश आपको इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि समय–सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें।

उपर्युक्त कार्य समयबद्ध है। कृपया वरीयता प्रदान करें।

संलग्नक :– उक्तवत्।

भवदीय

18.06.11

(डी0बी0शर्मा)

अपर परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) समस्त मण्डल।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद।

18.06.11

(डी0बी0शर्मा)

अपर परियोजना निदेशक

## शैक्षिक सत्र 2011–12 हेतु विद्यालय सांख्यिकी रिपोर्ट (ई0एम0आई0एस0) के लिए निर्धारित समय सारणी।

| क्र0सं0 | कार्य बिन्दु | समयावधि |
|---|---|---|
| 1 | डायस फारमेट पर प्रपत्र छपवाना/प्रतियॉ तैयार करना एवं जनपद स्तर पर डायस, डायस रिपोर्ट, एजुकेशनल इंडीकेटर्स, डी0सी0एफ, जनवाचन पर एम0आई0एस0 इंचार्ज/ कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी,, नगर शिक्षा अधिकारी,, सहायक लेखाधिकारी एवं समस्त जिला समन्वयकों को एक दिन का प्रशिक्षण। | 1–16 जूलाई, 2011 |
| 2 | प्रपत्र विद्यालयों को उपलब्ध कराना। | 18–30 जुलाई 2011 |
| 3 | बी0आर0सी0/नगर क्षेत्र स्तर पर प्रधानाध्यापकों को प्रपत्र भरने का प्रशिक्षण, कम्प्यूटर आपरेटर/ई0एम0आई0एस0 इंचार्ज, द्वारा दिया जायेगा। **उपरोक्त प्रशिक्षण में जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता), जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), सम्बन्धित ब्लाक के एन0पी0आर0सी0 तथा सम्बन्धित ब्लाक के उप विद्यालय निरीक्षक / सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित ब्लाक के कम्प्यूटर आपरेटर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।** | 01 अगस्त – 17 सितम्बर, 2011 |
| 4 | सम्पूर्ण प्रपत्रों को भरा जाना। ( 30 सितम्बर, 2011 के नामांकन के आधार पर ) | 01–07 अक्टूबर ,2011 |
| 5 | प्रधानाध्यापकों द्वारा संकुल स्तर पर भरे हुए प्रपत्र जमा करना । | 08–10 अक्टूबर 2011 |
| 6 | सही नामांकन भरने की जिम्मेदारी हैडटीचर की होगी तथा हैड टीचर द्वारा डी0सी0एफ0 में भरा हुआ नामांकन VER / WER में भरे हुए नामांकन में तारतम्य हो। संकुल प्रभारियों द्वारा भरे हुए प्रपत्रों का शत प्रतिशत परीक्षण/जांच के उपरान्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों पर जमा कराना तथा यह प्रमाण पत्र देना कि उनके आधीन समस्त विद्यालयों से सही सूचना एकत्र कर ली गई हैं, व प्रपत्रों पर भरी सूचना सही है। यह प्रमाण पत्र बी0आर0सी0 प्रभारी को दिया जायेगा। | 11–15 अक्टूबर 2011 |
| 7 | 25% प्रपत्रों की सैम्पुल चेकिंग के उपरान्त बी0आर0सी0 समन्वयक / समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चेकिंग के समस्त प्रमाणपत्रों सहित भरे प्रपत्र जिला बेसिक अधिकारी के कार्यालय में जमा करना। | 16–20 अक्टूबर 2011 |
| 8 अ | ई0एम0आई0एस0 इंचार्ज/कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा भरे हुए प्रपत्र प्राप्त होने के पश्चात एन0पी0आर0सी0/ब्लाकवार अपडेटिड स्कूल डायरेक्टरी के अनुसार चैक करना कि सभी विद्यालयों के डी0सी0एफ प्राप्त हुए हैं कि नहीं। इसकी रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराकर अवशेष विद्यालयों के डी0सी0एफ0 प्राप्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराना। | 21 अक्टूबर – 29 अक्टूबर, 2011 |
| 8 ब | सभी डी0सी0एफ0 को चेक करके अपूर्ण/अशुद्ध डाटा की सूची (ब्लाकवार–विद्यालयवार)जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराकर पूर्ण/शुद्ध डी0सी0एफ प्राप्त करने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। | |
| 9 | कम्प्यूटर आपरेटर एवं ई0एम0आई0एस0 इंचार्ज द्वारा डाटा इन्ट्री कार्य प्रारम्भ कर पूर्ण करना। | 01 नवम्बर – 03 दिसम्बर, 2011 |
| 10 | ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट की बैकअप सी0डी0 तथा दो वर्षों का तुलनात्मक विवरण जनपद स्तर पर (ब्लाकवार) चैक करने के पश्चातसंलग्न प्रारूप जनपदवार विवरण (संलग्नक 'ग') पर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना। ब्लाकवार/जनपदवार, आयुवार/जातिवार/मीडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनवार नामांकन एक समान होना चाहिए। | 05–17 दिसम्बर, 2011 |
| 11 | राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा डाटा चेकिंग तथा अशुद्धियों/कमियों को जनपदों को अवगत कराना। | 19– 28 दिसम्बर 2011 |
| 12 | जनपदों द्वारा अशुद्धियों को ठीक कर फाइनल डाटा की सी0डी0 एवं डायस प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना। | 28 दिसम्बर– 06 जनवरी, 2012 |
| 13 | ब्लॉक रिपोर्ट कार्ड एवं स्कूल रिपोर्ट कार्ड का जैनरेशन एवं ब्लॉक स्तर तथा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध कराना | माह फरवरी,, 2012 |